भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 249
उत्तर देने की तारीख: 22.07.2025

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता

249. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समग्र सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर महाराष्ट्र में ऐसी परियोजनाओं और प्रयोजन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग) : जी, हाँ। भारत सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के अंतर्गत विधायी ढाँचों, योजनाओं और पहलों, तथा विभाग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को समग्र सहायता प्रदान कर रही है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 16 और 17 दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाती है; धारा 40 सुगम्य स्कूलों /पार्कों और शिक्षण सामग्री आदि के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का समर्थन करती है।

सरकार ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगताओं और बहु- दिव्यांगताओं से ग्रस्त बच्चों को कानूनी और वित्तीय सहायता के माध्यम से मदद प्रदान करती है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत

राष्ट्रीय न्यास महाराष्ट्र में एक विकास (डे केयर) योजना, एक घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना, और निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिससे पिछले दो वर्षों में दिव्यांग बच्चों सहित लगभग 5,100 लाभार्थियों को लाभ मिला है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी) बौद्धिक दिव्यांगजनों को जन्म से लेकर जीवन भर के लिए पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है। एनआईईपीआईडी क्षेत्रीय केंद्र, नवी मुंबई, केंद्र-आधारित से लेकर समुदाय-आधारित पुनर्वास तक, सभी आयु वर्ग के बौद्धिक दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूआईडी) के लिए सेवाएँ प्रदान करता है। यह केंद्र दिव्यांगजनों को मोबाइल थेरेपी बस सेवा प्रदान कर रहा है। यह ई- सानिध्य परियोजना के अंतर्गत ऑटिज़्म से ग्रस्त व्यक्तियों को भी सेवाएँ प्रदान करता है।

केंद्र सरकार ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों के कौशल को बढाने के उद्देश्य से 'दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी –एसडीपी) शुरू की है। महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में पिछले दो वर्षों में, दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एनएपी –एसडीपी योजना के अंतर्गत 19.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को सहायक यंत्र/उपकरण प्रदान करने के लिए एडिप - समग्र शिक्षा अभियान (एडिप-एसएसए) कार्यान्वित करता है। महाराष्ट्र में, 2023-24 और 2024-25 में 5,418 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे लाभान्वित हुए।

'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत, पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र में 2,219 दिव्यांग छात्रों को लगभग 12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अपने विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) में सिंगल विंडो, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) शुरू किए हैं ताकि 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के जोखिमग्रस्त या दिव्यांगताओं और/या विकासात्मक विलंब से ग्रस्त शिशुओं और छोटे बच्चों को विशेष सहायता और सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

*****